

52


25.02.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में प्रार्थी वकील व प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैखी व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिखल दफतर हो। व नंबर से कम हो।

  
मुखण्ड अधिकारी  
लाड़मेर

